कार्यालयः आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश

10वाँ तल जवाहर भवन,अशोक मार्ग लखनऊ

पत्रांकः 1547 /ए0मा0से0/एसजीएसवाई/2010 लखनऊः दिनांक 10 मई, 2010

कान्स्ट्रक्शन इन्ड0 डेवलपमेन्ट काउन्सिल,
आठवां तल, रूम नं. 801, हेमकुण्ड चैम्बर,
89 नेहरूप्लेस, नई दिल्ली।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक/युवतियों के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के सन्दर्भ में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर से आपकी संस्था को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन हेतु निम्नानुसार चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क0सं0	आवंटित जिला	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु आवंटित ट्रेड
1–	ललितपुर	1000	राजमिस्त्री
2–	महोबा	200	प्लम्बर
3–	झाँसी	500	शटरिंग कारपेन्टर/कारपेन्टर
4–	चित्रकूट	100	शटरिंग कारपेन्टर

2– संस्था द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या –1355/38–6–09–7एसजीएसवाई/09टीसी, दिनांक–5–6–09 एवं संख्या–1531/38–6–09–7एसजीएसवाई/09टीसी, दिनांक–29–6–09 तथा शासनादेश संख्या–1041/ 38–6–2010–23एसजीएसवाई/2010 दिनांक 04 मई, 2010 में निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेशों की प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3– संस्था सहमति पत्र पर अपनी लिखित सहमति जनपद के परियोजना निदेशक से प्राप्त कराने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रारम्भ करेगी।

4– प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर निर्गत नीतियों, मार्गनिर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन करने के लिए संस्था बाध्यकारी होगी।

5– संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम से कम 85 प्रतिशत लाभार्थियों को सेवायोजित कराये जाने की अनिवार्यता होगी।

संलग्नक–यथोक्त।

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।

UO RS 1